(4)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/202

1. हंसराज पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2. राधेश्याम पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

   मृतक–

   2/1 सुरेन्द्र पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

   2/2 सोनू पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

   2/3 नरेन्द्र पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

   2/4 प्रीति पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

   2/5 जशोदा पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3. रामचरण पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

   मृतक जरिये कायम मुकाम–

   3/1 शिवराज पुत्र रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

   3/2 विमला पुत्री रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

   3/3 सुमित्रा पत्नी रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

– अपीलांटगण

बनाम

1. सत्यनारायण पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2. महावीर पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3. हीरालाल पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
4. सुमित्रा पुत्री सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
5. लटूरी बाई बेवा सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
6. शिवशंकर शर्मा आत्मज हरिप्रसाद कटारा जाति ब्राह्म्ण निवासी गणेशपुरा लाखेरी, जिला बून्दी राज0।
7. राजस्थान राज्य लेण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
8. सब रजिस्ट्रार, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
9. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर बून्दी।

–रेस्पोडेन्टगण

(5)

अपील संख्या 2024/202
हंसराज बनाम सत्यनारायण वगै0

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री हेमन्त योगी, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2, 3, 5, 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.01.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 82/2008 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि खसरा संख्या 696 रकबा 1.54 है० बरानी वाके ग्राम पापडी पटवार क्षेत्र पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त वाद वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में सुन्दरा पुत्र माधो कौम गूजर साकिन देह गैर खातेदार मृतक जरिये नामान्तकरण संख्या 136 विरासत दिनांक 15.08.2007 के उक्त फौती सुन्दरा के स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 व उसके पूर्वज मृतक सुन्दरा का कभी कब्जा नहीं रहा है। वादीगण उक्त आराजी पर निरन्तर निर्वाद रूप से 30 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त होने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में होने से उसका नाजायज लाभी उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रतिवादी संख्या 6 से मिलकर उक्त आराजी पर नाजायज तौर पर खुर्द बुर्द करना चाहते है, विक्रय, बेचान, हस्तानान्तरण करना चाहते है। अन्त में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 696 रकबा 1.54 है० वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के वादीगण को खातेदार आसामी घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में से 1 लगायत 5 प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण को बतौर खातेदार अंकित फरमाया जायें। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण अपना वाद अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कब्जा मुखालफाना के आधार पर लेकर आये हैं जो तथ्य एवं कानून का संयुक्त प्रश्न है। अकेले कानून का तथ्य न होनें से विषय नही होनें के कारण आदेश संख्या 7 नियम 11 व 151 जाप्ता दिवानी के तहत वाद खारीज नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। वादीगण द्वारा दिनांक 31/05/2023 को दावे के दौरान प्रतिवादिगण की सहमती व नाजायज हस्तांतरण कर गैर कानूनी रूप से रूप परिवर्तन पर आमादा होकर निर्माण व कुछ हिस्से पर दिवारें निर्माण करने वाले व्यक्ति को पक्षकार बनाकर दावे में दावे के दौरान किये गए मौके की स्थिति में परिवर्तन करनें बाबत दावे में संशोधन करने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 की सयुंक्त दरख्वास्त को आदेश 7 नियम 11 की दरख्वास्त से पूर्व कानून बताए जाने के बावजूद भी निस्तारित नहीं किया गया। तथा त्रुटिपर्ण रूप से आदेश 7 नियम 11 पर बहस सुनकर आदेश 7 नियम 11 का जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारीज किया गया है जो त्रुटीपूर्ण होने से उक्त निर्णय व डिक्री, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। कृषि भूमि पर काबिज किसी भी व्यक्ति को ताकत के बल पर कोई भी व्यक्ति बेदखल नहीं करने का अधिकार नहीं होने से तथा उक्त काबिज व्यक्ति खातेदार न होते हुए भी धारा 92 (ए) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत जाप्ता दिवानी के तहत प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर होने लायक नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। वादीगण अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 की बहस से पूर्व कानून पेश किये जाने के उपरान्त भी कानून का हवाला ना देकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन, आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 व धरा 151 के प्रार्थना पत्र को पहले सुनें जाने बाबत व निर्णय किये जाने बाबत प्रस्तुत कानूनी नजीर का उल्लेख न कर मनमानीपूर्वक पक्षपातपूर्ण तरीके से गैर कानूनी रूप से कानून को विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 की दरख्वास्त स्वीकार कर कानून का घोर उल्लंघन करने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री निरस्त होने योग्य है। अतः न्यायहित में प्रकरण पुनः सुनवाई हेतू लाखेरी उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे पुनः भेजा जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण का आवेदन आदेश संख्या 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश 7 नियम 11 का विषय न होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की नजीरें प्रस्तुत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की नजीरें का उल्लंघन कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार कर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 19/06/2024 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से

जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था तथा प्रकरण में तनकीयात कायम की जा चुकी थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया तथा केवल आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो विधि विरूद्ध है। कानूनन किसी भी प्रकरण में तनकीयात कायम किए जाने के उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अंतिम बहस के स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2023(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 537, 1996 डी. एन.जे.(राज.) पेज 397, 2013 डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 207, 2007(1) आर.एल.डब्ल्यु. राज0 पेज 583, 2007–08 डी.एन.जे. पेज 251, 2011 आर.आर.डी. पेज 106, ए.आई.आर. 2003(एस.सी.) पेज 1905, ए.आई.आर. 2019 एस.सी. पेज 3827, 1993(2) आर.एल.आर. पेज 472, 2010 आर. आर.डी. पेज 423, 2013(3) एच.सी. डी.एन.जे. पेज 1409 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5 व 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है। वादग्रस्त भूमि के अपीलांटगण ना तो अभिलिखित खातेदार है और ना ही अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता सुन्दरा की आवंटनशुदा भूमि है। वादग्रस्त भूमि आवंटन नियमों के अनुसार मिसल नम्बर 178 दिनांक 24. 10.1977 को आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन को अपीलांट द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। उक्त आवंटन आज भी प्रभावी है। सुन्दरा की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के खाते दर्ज हुई। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्व एवं हक अधिकार नहीं है। वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि विरूद्ध है। अपीलांटगण द्वारा पूर्व में प्रश्नगत प्रकरण में राजीनामा किया जा चुका है तथा राजीनामा के एवज में अपीलांटगण द्वारा प्रतिफल भी प्राप्त किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अपीलांटगण द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से अपील पेश की गई है। अपीलांटगण स्वच्छ हस्तों से नहीं आए है। दावे की किसी भी स्टेज पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया जा सकता है। अपीलांटगण का प्रश्नगत अपील एवं वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक आधार नहीं होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2024(2) डी.एन.जे.(एस.

सी.) पेज 473 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.06.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2064–2067 के अनुसार वादग्रस्त भूमि सुन्दरा पुत्र माधो की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण के कॉलम में नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 15.08.2007 के द्वारा मृतक सुन्दरा के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का नाम दर्ज किए जाने का अंकन है। अतः यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के खाते की भूमि है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि पर अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त होना माना जाता है। अपीलांटगण ने हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज/राजस्व रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है जिससे वादग्रस्त भूमि पूर्व में अपीलांटगण के खाते दर्ज होना प्रमाणित होता है। अपीलांटगण द्वारा प्रश्नगत वाद केवल कब्जा मुखालफाना के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्टगण का कथन रहा है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बंध में अपीलांटगण द्वारा पूर्व में राजीनामा भी किया जा चुका है तथा राजीनामे की एवज में प्रतिफल भी अपीलांटगण द्वार प्राप्त किया जा चुका है, उक्त कथनों के समर्थन में रेस्पोडेन्टगण द्वारा इकरारनामा एवं नोटेरी रजिस्टर तथा प्रकरण संख्या 134/2014 बउनवान हंसराज बनाम सत्यनारायण एवं उसमें प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना–पत्र इत्यादी दस्तावेजो की फोटोप्रतियां भी प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से अपीलांटगण द्वारा पूर्व में राजीनामा किए जाना तथा राजीनामे की एवज में प्रतिफल प्राप्त किया जाना प्रकट होता है। अतः हमारे मत में अपीलांटगण द्वारा प्रश्नगत वाद स्वच्छ हस्तों से प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रकट होता है। अपीलांटगण का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किए जाने के उपरांत अंतिम बहस के स्तर पर प्रश्नगत वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर खारिज किया है तथा अंतिम बहस के स्तर पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पोषणीय नहीं है। अपीलांटगण के उक्त कथन के खण्डन में रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि वाद के किसी भी स्तर पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2024(2) डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 473 प्रस्तुत किया हैं। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गय है कि– "(A) An application under order VII rule 11 of the c.p.c. can be filed at any stage. (B) Without disposing of an application under order VII rule 11 of the C.P.C. the court cannot proceed with the trial." अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह माना गया है कि वाद के किसी भी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारे मत में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2024(2) डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 473 प्रश्नगत प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू होता है जिसके अनुसार वाद के किसी भी स्तर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम

11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जा सकता है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त भूमि के हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है परन्तु वर्तमान विधि के अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। कब्जा मुखालफाना के सम्बंध माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यु.एल. एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए है जिनके अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 19.06.2024 में कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होना माना है जिससे हम सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के आधार पर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है उससे हम सहमत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 82/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

9/1/25

(सुरवीर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(10)

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024/202

1. हंसराज पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2. राधेश्याम पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज. मृतक–
   2/1 सुरेन्द्र पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
   2/2 सोनू पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
   2/3 नरेन्द्र पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
   2/4 प्रीति पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
   2/5 जशोदा पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3. रामचरण पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
   मृतक जरिये कायम मुकाम–
   3/1 शिवराज पुत्र रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
   3/2 विमला पुत्री रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
   3/3 सुमित्रा पत्नी रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।

– अपीलांटगण

बनाम

1. सत्यनारायण पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2. महावीर पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3. हीरालाल पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
4. सुमित्रा पुत्री सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
5. लटूरी बाई बेवा सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
6. शिवशंकर शर्मा आत्मज हरिप्रसाद कटारा जाति ब्राह्म्ण निवासी गणेशपुरा लाखेरी, जिला बून्दी राज0।
7. राजस्थान राज्य, लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

8. सब रजिस्ट्रार , तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
9. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर बून्दी।

–रेस्पोडेन्टगण

वादपत्र संख्याः 82/2008

1.हंसराज पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2.राधेश्याम पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज. मृतक–
2/1 सुरेन्द्र पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2/2 सोनू पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2/3 नरेन्द्र पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2/4 प्रीति पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2/5 जशोदा पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3.रामचरण पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
मृतक जरिये कायम मुकाम–
3/1 शिवराज पुत्र रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3/2 विमला पुत्री रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3/3 सुमित्रा पत्नी रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

––वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
2. महावीर पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
3. हीरालाल पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
4. सुमित्रा पुत्री सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
5. लटूरी बाई बेवा सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
6. शिवशंकर शर्मा आत्मज हरिप्रसाद कटारा जाति ब्राह्म्ण निवासी गणेशपुरा लाखेरी, जिला बून्दी राज0।
7. राजस्थान राज्य लेण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
8. सब रजिस्ट्रार , तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।
9. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर बून्दी।

––प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 82/2008 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.06.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 09.01.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री हेमन्त योगी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5, 6 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अनुराग गुप्ता के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 09.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा